उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ ।

अनुदेश-पुस्तिका

आरक्षी एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2013

1.1 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ द्वारा पुलिस आरक्षी, आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी तथा फायरमैन **वेतनमान-पे बैण्ड-5200-20200 व ग्रेड पे-2000** के रिक्त पदों, जिनके श्रेणीवार विवरण निम्नवत् हैं, को भरने के लिए सूचना विज्ञापित की गयी हैः-

क्र0 सं0	श्रेणी	पुलिस आरक्षी	आरक्षी पीएसी	फायरमैन
1	सामान्य	17750	2016	1038
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	9585	1089	561
3	अनुसूचित जाति	7455	847	436
4	अनुसूचित जनजाति	710	81	42
	योग	**35,500**	**4,033**	**2,077**

टिप्पणी:-

(1) पुलिस आरक्षी के पद पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिये 2 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 प्रतिशत, होमगार्ड्स के लिए 5 प्रतिशत तथा महिलाओं के लिये 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होंगे।

(2) आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी के पद पर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिये 2 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 प्रतिशत तथा होमगार्ड्स के लिए 5 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होंगे।

(3) फायरमैन के पद पर स्वतंत्रता संग्रम के सेननियों के आश्रितों के लिये 2 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये 5 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होंगे।

1.2 आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी तथा फायरमैन के पद पर भर्ती केवल पुरूष अभ्यर्थियों के लिए ही है ।

1.3 पुलिस आरक्षी, आरक्षी, प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी तथा फायरमैन के पदों पर भर्ती के लिए संयुक्त परीक्षा होगी।

1.4 अभ्यर्थी का चयन संयुक्त परीक्षा के परिणाम के श्रेष्ठताक्रम एवं अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये प्रथम, द्वितीय, तृतीय वरीयताक्रम (order of preference) के आधार पर निम्न प्रकार किया जायेगा:-

(1) आवेदन पत्र में पद का वरीयताक्रम केवल पुरूष अभ्यर्थी द्वारा ही भरा जायेगा।

(2) यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा मात्र प्रथम वरीयता ही दी गयी है एवं उसके द्वारा द्वितीय अथवा तृतीय वरीयता नहीं दी गयी है तो उसका अभ्यर्थन उसके द्वारा दी गयी प्रथम वरीयता के पद के लिए ही विचारणीय होगा ।

(3) अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में अंकित वरीयताक्रम में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने या वरीयताक्रम न भरे जाने की स्थिति में बोर्ड द्वारा वरीयताक्रम अंकित करने वाले अभ्यर्थियों को आवंटन के उपरान्त शेष बचे हुए पद उसे आवंटित किये जायेंगे।

(4) इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

1.5 **प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त की जा सकती है ।**

2.1 <u>आवेदन की समय सारिणी</u>-

<u>(अ) ओ.एम.आर. आवेदन पत्रों के लिए-</u>

(1) आवेदन पत्र अधिसूचित डाकघरों से प्राप्त करने की प्रारंभिक तिथिः 18-07-2013

(2) आवेदन पत्र अधिसूचित डाकघरों में जमा करने की अंतिम तिथिः 20 -08 -2013

<u>(ब) ऑनलाइन आवेदन पत्रों के लिए-</u>

(1)	पंजीकरण आरम्भ होने की तिथिः	18-07-2013
(2)	पंजीकरण समाप्त होने की तिथिः	18-08-2013
(3)	आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथिः	19-08-2013
(4)	आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथिः	20-08-2013

2.2 **<u>आवेदन शुल्क</u>**

इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क रू0-200/- (रूपये दो सौ मात्र) निर्धारित किया गया है।

2.3 **<u>आवेदन शुल्क से छूट</u>**

बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबी-दो-1(2)/2011 दिनांकित 15-07-2011 के पुराने अभ्यर्थियों, जिन्होंने पुलिस आरक्षी या आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अथवा दोनों पदों पर भर्ती हेतु आवेदन किया था, उन्हें कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। परन्तु पुलिस आरक्षी या आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अथवा दोनों पदों के साथ-साथ फायरमैन के पद पर भर्ती हेतु भी आवेदन करने पर उन्हें आवेदन शुल्क से कोई छूट नहीं मिलेगी तथा उन्हें निर्धारित आवेदन शुल्क रू0-200/- देना होगा।

उदाहरण के लिए- (1) यदि पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति दिनांकित 15-07-2011 का कोई पुराना अभ्यर्थी पुलिस आरक्षी तथा आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड

कान्सटेबुलरी के पद हेतु आवेदन करता है तो उसे आवेदन शुल्क में छूट मिलेगी। (2) यदि पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति दिनांकित 15-07-2011 का कोई पुराना अभ्यर्थी पुलिस आरक्षी, आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी तथा फायरमैन के पद हेतु आवेदन करता है तो उसे आवेदन शुल्क से कोई छूट नहीं मिलेगी।

3.1-शैक्षिक अर्हताः-

भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है।

टिप्पणीः-

(1) आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंकतालिका अथवा प्रमाण-पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए (appeared) अथवा सम्मिलित होने वाले (appearing) अभ्यर्थी पात्र न होंगे।

(2) आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा ।

3.2 अधिमानी अर्हतायें

अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः-

(एक) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

3.3 आयुः-

भर्ती के लिए यह आवश्यक है किः-

पुरूष अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2013 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 01-07-1995 के पश्चात न हुआ हो एवं दिनांक 02-07-1991 से पूर्व न हुआ हो तथा महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 01-07-2013 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म दिनांक 01-07-1995 के पश्चात न हुआ हो एवं दिनांक 02-07-1988 से पूर्व न हुआ हो ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों (केवल उ0प्र0 के मूल निवासी) के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी ।

3.4 आयु सीमा में छूट:- अग्रेतर यह भी कि बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबी-दो-1(2)/2011 दिनांकित 15-07-2011 के पुराने अभ्यर्थियों, जिन्होंने पुलिस आरक्षी या आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अथवा दोनों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया था, को दिनांक 01-07-2013 को अधिक आयु (Over Age) होने की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी, ताकि वे उक्त पद के लिए इस भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो सकें, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को फायरमैन के पद पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में यह शिथिलता प्राप्त नहीं होगी ।

टिप्पणीः-

यदि किसी अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई है, तो उसकी अधिकतम आयु सीमा की गणना उस वर्ष की 30 जून की तिथि में की जायेगी, जैसा कि अधिवर्षता की आयु की गणना के समय की जाती है।

3.5-शारीरिक स्वस्थता

किसी अभ्यर्थी को सेव में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाए। शारीरिक रूप से विकलांग भर्ती के लिए पात्र न होंगे।

3.6-शारीरिक मानक परीक्षण-

चिकित्सीय परीक्षण के अन्तर्गत चिकित्सा मैनुअल के अनुसार विहित मापदण्ड के अतिरिक्त पुरूष अभ्यर्थियों की ऊंचाई के साथ सीना एवं महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई के साथ वजन का शारीरिक मानक परीक्षण किया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण केन् यूनतम मानक इस प्रकार हैं:-

ऊंचाई

पुरूष और महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई निम्नवत निर्धारित की गयी हैः-

श्रेणी	पुरूष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए	168 से0मी0	152 से0मी0
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	160 से0मी0	147 से0मी0

सीना

पुरूष अभ्यर्थी के सीने की माप निम्न मानक के अनुरूप होनी चाहिये:-

श्रेणी	पुरूष	महिला
सामान्य / अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए	बिना फुलाये-79 से0मी0 व फुलाने पर 84 से0मी0 से कम नहीं होना चाहिए। टिप्पणीः-न्यूनतम 5 से0मी0 का फुलाव अनिवार्य है।	लागू नहीं
अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	बिना फुलाये-77 से0मी0 व फुलाने पर 82 से0मी0 से कम नहीं होना चाहिए। टिप्पणीः-न्यूनतम 5 से0मी0 का फुलाव अनिवार्य है।	लागू नहीं

वजन

महिला अभ्यर्थी का वजन निम्न प्रकार होना चाहियेः-

श्रेणी	महिला	पुरूष
सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए	न्यूनतम 40 किलोग्राम	लागू नहीं

4-भर्ती की प्रक्रिया-

4.1 प्रारम्भिक लिखित परीक्षा

ऐसे अभ्यर्थियों, जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं, से अर्हकारी प्रकृति की वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में 300 अंकों का एक प्रश्नपत्र होगा जिसमें समुचित स्तर का सामान्य ज्ञान, सामयिक विषय, तार्किक क्षमता और आंकिक क्षमता के प्रश्न होंगे। प्रश्नपत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा।

प्रारम्भिक लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र की शैली निम्न प्रकार की होगीः-

क्र0सं0	विषय	अंक
1	सामान्य ज्ञान एवं सामयिक विषय	150
2	तार्किक क्षमता	75
3	आंकिक क्षमता	75
कुल योग		**300**

प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में कुल योग का न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अर्हकारी होगा। किसी भी विषय के लिए अलग-अलग कोई न्यूनतम प्रतिशत अर्हकारी अंक नहीं हैं। जो अभ्यर्थी कुल योग का 35 प्रतिशत अंक पाने में विफल रहेगा वह असफल माना जायेगा। प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों में से राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार रिक्तियों की संख्या के 10 गुने के बराबर की संख्या में अभ्यर्थियों को प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए बुलाया जायेगा।

प्रारम्भिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-1** पर उपलब्ध है।

4.2 शारीरिक दक्षता परीक्षा

प्रारम्भिक लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों से अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो 100 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरूष अभ्यर्थियों को 4.8 कि0मी0 की दौड़ अधिकतम 30 मिनट के भीतर और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 कि0मी0 की दौड़ अधिकतम 18 मिनट के भीतर पूर्ण करना अर्हकारी होगा। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिए अर्ह नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा दौड़ में लिये गये समय के आधार पर अंक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रदान किये जायेंगेः-

(i) पुरूषों के लिए 4.8 कि0मी0 की दौड़ (अर्हकारी तीस मिनट)

मिनट और सेकण्ड में समय सीमा	
समय सीमा	**अंक**
20 मिनट तक	100
20 मिनट 01 सेकण्ड से 25 मिनट	80
25 मिनट 01 सेकण्ड से 30 मिनट	60

(ii) महिलाओं के लिए 2.4 कि0मी0 की दौड़ (अर्हकारी अठारह मिनट)

मिनट और सेकण्ड में समय सीमा	
समय सीमा	**अंक**
14 मिनट तक	100
14 मिनट 01 सेकण्ड से 16 मिनट	80
16 मिनट 01 सेकण्ड से 18 मिनट	60

टिप्पणीः- समय की संगणना निकटतम सेकण्ड तक की जायेगी ।

महत्वपूर्ण सूचनाः-

अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे निर्धारित दिनांक और समय पर शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु उपस्थित हों। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिए कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

4.3 मुख्य लिखित परीक्षा

शारीरिक दक्षता परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पात्र अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और जिसके लिए 300 अंक होंगे। लिखित प्रश्नपत्र में सामान्य जानकारी, मानसिक क्षमता,

तर्कशक्ति और बोधगम्यता (कॉम्प्रीहेन्शन) के प्रश्न होंगे। प्रश्नपत्र का स्तर पद के लिए न्यूनतम अपेक्षित शैक्षिक योग्यता के अनुसार होगा ।

मुख्य लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र की शैली निम्न प्रकार की होगीः-

क्र0सं0	**विषय**	**अंक**
1	सामान्य जानकारी	100
2	मानसिक क्षमता	75
3	तर्कशक्ति	75
4	बोधगम्यता	50
कुल योग		**300**

मुख्य लिखित परीक्षा में कुल योग का न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अर्हकारी होगा। किसी भी विषय के लिए अलग-अलग कोई न्यूनतम प्रतिशत अर्हकारी अंक नहीं हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य लिखित परीक्षा में कुल योग का 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, असफल माने जायेंगे।

मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-2** पर उपलब्ध है ।

<u>4.4 अभिलेखों की संवीक्षा और चिकित्सा परीक्षा</u>

<u>(क) अभिलेखों की संवीक्षाः</u>-

शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों के साथ निर्धारित **समिति** के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिए बुलाया जायेगा ।

अभ्यर्थी की पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेखों की मूल रूप में जांच उसी दिन की जायेगी जिस दिन अभ्यर्थी को चिकित्सीय परीक्षण हेतु बुलाया गया हो। अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड और विभागाध्यक्ष के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों के अभिलेख ठीक पाये जाते हैं वे चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

<u>(ख) चिकित्सा परीक्षा</u>

ऐसे अभ्यर्थी जिनके अभिलेख संवेक्षा के पश्चात सही पाये गये हों, का चिकित्सीय परीक्षण गठित चिकित्सीय परीक्षा परिषद द्वारा किया जायेगा। चिकित्सीय परीक्षण में चिकित्सा मैनुअल के अनुसार विहित मापदण्ड के अतिरिक्त शारीरिक मानक

परीक्षण भी सम्मिलित होगा, जिसमें पुरूष अभ्यर्थियों की ऊंचाई तथा सीना एवं महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई तथा वजन का परीक्षण होगा ।

चिकित्सीय परीक्षा परिषद 'पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र' के अनुसार अभ्यर्थियों का परीक्षण करेगा। चिकित्सीय परीक्षा परिषद द्वारा अभ्यर्थी की ऊंचाई, सीना तथा वजन के लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण किया जायेगा और नॉक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस तथा रिन्नीज परीक्षण, वेब्बर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए श्रवण शक्ति परीक्षण की जांच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, किया जायेगा ।

कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षा से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील दर्ज करा सकता है। चिकित्सा परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षा और परीक्षा के परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी और श्रेष्ठता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

<u>टिप्पणीः-</u>

(1) प्रारम्भिक/मुख्य लिखित परीक्षा ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है, जो प्रश्न का सही उत्तर हो ।

(2) ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की मूल प्रति अभ्यर्थी द्वारा अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(3) प्रारम्भिक/मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा की तिथि व समय की सूचना यथासमय अधिसूचित की जायेगी।

(4) प्रारम्भिक/मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा का प्रवेश-पत्र यथासमय परीक्षा के 10 दिन पूर्व भेजा जायेगा तथा बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर भी उपलब्ध होगा जहां से अभ्यर्थी उसे डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।

<u>4.5 चयन तथा श्रेष्ठता सूचीः-</u>

(अ) शारीरिक मानक परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा के पश्चात् सफल पाये गये अभ्यर्थियों की एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का निश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः-

(i) ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता, यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(ii) उपरोक्त के होते हुए भी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों की श्रेणी समान हों तो मुख्य लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी ।

(iii) उपर्युक्त के होते हुए भी, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर-बराबर हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(iv) यदि उपर्युक्त विचार के बावजूद भी अंक बराबर-बराबर हों और जन्म दिनांक समान हो और मुख्य लिखित परीक्षा में भी अंक समान हों, तो ऐसे अभ्यर्थी को हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित प्रथम नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अक्षर के क्रम में वरीयता प्रदान की जायेगी।

(ब) राज्य की आरक्षण नीति व विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों की उनकी संयुक्त परीक्षा के परिणाम के श्रेष्ठताक्रम एवं उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये वरीयताक्रम (order of preference) के आधार पर एक चयन सूची तैयार की जायेगी, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कराये जाने वाले चरित्र सत्यापन के अध्यधीन होगी ।

5-आरक्षण व आयु सीमा में छूट

अनुसूचित जातियों, अनूसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों (केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही अनुमन्य) के लिये आरक्षण व अधिकतम आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार हैं :-

5.1 लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण

क्र0सं0	श्रेणी	प्रतिशत	अधिकतम आयु सीमा में छूट	प्रमाण पत्र व प्रारूप	प्रमाणपत्र देने वाले सक्षम प्राधिकारी
1	अनुसूचित जाति	21	05 वर्ष	जाति प्रमाणपत्र प्रारूप 1	जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो, जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	अनुसूचित जनजाति	02	05 वर्ष	जाति प्रमाणपत्र प्रारूप 1	जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट, यदि कोई हो, जिला समाज कल्याण अधिकारी

3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	05 वर्ष	जाति प्रमाणपत्र प्रारूप 2	जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, परगना मजिस्ट्रेट, तहसीलदार

5.2 क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण

क्र0सं0	**समूह**	**प्रतिशत**	**अधिकतम आयु सीमा में छूट**	**प्रमाण- पत्र व प्रारूप**	**प्रमाणपत्र देने वाले समक्ष प्राधिकारी**
1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	02	05 वर्ष	आश्रित प्रमाणपत्र प्रारूप 3	जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार
2	भूतपूर्व सैनिक	05	03 वर्ष*	यूनिट डिस्चार्ज प्रमाणपत्र	जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी
3	होमगार्ड्स	05	03 वर्ष (केवल पुरूष)	होमगार्ड्स प्रमाणपत्र	जिला कमाण्डेण्ट होमगार्ड्स
4	महिला (केवल पुलिस आरक्षी के लिए)	20	लम्बवत (वर्टिकल) आरक्षण की उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1-3 में अंकित श्रेणी के अनुसार		

* भूतपूर्व सैनिकों की आयु, सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर, निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5.3 संचयी आयु छूटः

क्षैतिज आरक्षण के अभ्यर्थियों को उनकी लम्बवत श्रेणी के सापेक्ष अधिकतम आयु सीमा में निम्न तालिका के अनुरूप संचयी आयु छूट (Cumulative Age-Relaxation)मिलेगीः-

आयु छूट तालिका

क्षैतिज आरक्षण	लम्बवत आरक्षण			
	उ0प्र0 के अनुसूचित जनजाति	उ0प्र0 के अनुसूचित जाति	उ0प्र0 के अन्य पिछड़े वर्ग	अनारक्षित (सामान्य)
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	**5+5** वर्ष	**5+5** वर्ष	**5+5** वर्ष	**0+5** वर्ष
भूतपूर्व सैनिक	**5+3** वर्ष*	**5+3** वर्ष*	**5+3** वर्ष*	**0+3** वर्ष*

महिला	**5+0=5** वर्ष	**5+0=5** वर्ष	**5+0=5** वर्ष	**0+0=0** वर्ष
होमगार्ड्स (केवल पुरूष)	**5+3** वर्ष	**5+3** वर्ष	**5+3** वर्ष	**0+3** वर्ष

<u>टिप्पणीः-</u>

(1) यदि अनुसूचित जाति/जनजाति की कोई स्त्री किसी सवर्ण पुरूष से विवाह करती है तो उसे विवाह के उपरान्त भी पूर्व में अनुमन्य आरक्षण मिलता रहेगा ।

(2) यदि कोई सवर्ण स्त्री किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के पुरूष से विवाह करती है तो उस स्त्री को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(3) गोद लिये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित बच्चा गोद लेने वाले व्यक्ति की अपनी सन्तान स्वरूप हो जाता है। अतः यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई व्यक्ति किसी सवर्ण बच्चे को नियमानुसार गोद लेता है तो उस बच्चे को आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लाभ अनुमन्य होगा ।

(4) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 (समय-समय पर यथा संशोधित) की अनुसूची-दो के अनुसार **क्रीमीलेयर** के अन्तर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र (प्रारूप-2) 01 अप्रैल, 2012 या उसके बाद का आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए ।

(5) **उत्तर-प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-1, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप-2 तथा उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र का प्रारूप-3 प्रस्तर 5.8 पर व जातियों की सूची प्रस्तर 5.9 पर उपलब्ध है ।**

(6) भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के प्रपत्र पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होंगे ।

(7) लम्बवत/क्षैतिज आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने सम्बन्धी निवास प्रमाण-पत्र (डोमीसाइल सर्टिफिकेट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण-पत्र में अंकित निवास स्थान को निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा ।

(8) आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर यह अवधारणा की जायेगी कि अभ्यर्थी आरक्षण का दावेदार नहीं है एवं तदनुसार यह दावेदारी निरस्त कर, यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूर्ण करता हो तो, उसे सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत मानते हुए भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित

कर लिया जायेगा। इस संबंध में किसी संशोधन/परिवर्तन हेतु पुनः कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा ।

(9) यदि आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जायेगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमन्य किसी सुविधा या छूट (यथा-आयु सीमा में छूट आदि) का उपभोग किया हो ।

(10) यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो उसे केवल एक ही आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उसके लिये ज्यादा लाभकारी होगा।

(11) क्षैतिज (हारिजेण्टल) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

5.4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी':-स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य उत्तर-प्रदेश के ऐसे अधिवासी से है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और-

(एक) जिसने वीरगति प्राप्त की हो, या

(दो) जिसने कम से कम दो मास की अवधि के लिये कारावास का दण्ड भोगा हो, या

(तीन) जो नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए निरूद्ध हुआ हो, या

(चार) जिसने कम से कम दस बेंतो का दण्ड भोगा हो, या

(पांच) जो गोली से घायल हुआ हो, या

(छः) जिसे फरार घोषित किया गया हो, या

(सात) जो 'पेशावर काण्ड' में रहा हो, या

(आठ) जो आजाद हिन्द फौज का सदस्य रहा हो, या

(नौ) जो इन्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग का प्रमाणित सदस्य रहा हो, या

(दस) जिसे गांधी-इरविन समझौते के अधीन रिहा किया गया हो।

इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना जायेगा जिसने माफी मांगी हो और उसे माफ कर दिया गया हो।

'स्वतंत्रता संग्राम सेनानी' के 'आश्रित' का तात्पर्य किसी स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के-

(एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित अथवा अविवाहित), और

(दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) विवाहित अथवा अविवाहित से है।

दत्तक पुत्र/पुत्री भी गोद लेने वाले व्यक्ति की सन्तान स्वरूप माने जायेंगे तथा उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का लाभ अनुमन्य होगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है अपितु अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पर वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए।

<u>5.5 भूतपूर्व सैनिकः-</u>"भूतपूर्व सैनिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में किसी कोटि में योधक या अनायोधक के रूप में कम से कम 06 मास की अवधि के लिये लगातार सेवा की हो और जो-

(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या

(दो) चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हों, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य अयोग्यता पेंशन दी गई है, या

(तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किए जाने के फलस्वरूप अपनी स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है, या

(चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गई है।

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिकों की शैक्षिक अर्हता स्नातक मानी जायेगी जो मैट्रीकुलेट हैं तथा इण्डियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना/वायु सेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किये हों तथा संघ की सशस्त्र सेवा में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(छः) और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं:-

(1) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले,

(2) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और

(3) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।

(सात) संघ की सशस्त्र सेना में कार्यरत ऐसे व्यक्ति जो सेना से सेवा निवृत्त होने पर भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आयेंगे उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए एक साल पहले अनुमति प्रदान की जा सकती है और वे व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक को अनुमन्य सारे लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे, किन्तु उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वे संघ की सशस्त्र सेना में उस अवधि को पूरा नहीं कर लेंगे। अतः ऐसे सैनिक जो अभी सेना में सेवारत हैं तथा जिन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए एक साल पहले यूनिट के कमाण्डेन्ट द्वारा नो ऑबजेक्शन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, वह भी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

(आठ) भूतपूर्व सैनिक संबंधी दावे की पुष्टि में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी द्वारा निर्गत भूतपूर्व सैनिक/यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र/सेवामुक्ति

प्रमाण-पत्र तथा संघ की सशस्त्र सेना में कार्यरत सैनिक अभ्यर्थी जिनकी विनिर्दिष्ट सेवा अवधि पूरी होने में एक साल शेष हैं, द्वारा पुनर्नियुक्ति के लिए यूनिट के कमाण्डेण्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

टिप्पणीः-

(1) आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह अन्तिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा पूरी कर लेगा।

(2) भूतपूर्व सैनिक के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को इस आरक्षण व आयु सीमा की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

5.6-महिलाः- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था निम्नवत् हैः-

(1) आरक्षण हारिजेन्टल प्रकृति का होगा अर्थात किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(2) यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी।

(3) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नही भरा जा सके तो वह पद उपयुक्त पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।

(4) महिलाओं को अनुमन्य आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है ।

5.7-होमगार्ड्स:- होमगार्ड्स के जवान को अधिकतम आयु सीमा में छूट उसी दशा में प्राप्त होगी जब वे उक्त भर्ती हेतु अन्यथा अर्ह हों **तथा उन्होंने दिनांक 01-07-2013 तक होमगार्ड्स में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।** यह छूट होमगार्ड्स के केवल पुरूष अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी ।

5.8- प्रारूप:-

प्रारूप-1

उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी...सुपुत्र/सुपुत्री/श्री...निवासी ग्राम... तहसील..........................नगर..........................जिला.................................उत्तर प्रदेश राज्य की.................................. जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....................................तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के............................ ग्राम................................. तहसील...................नगर............................जिला.......................... में सामान्यतया रहता है।

स्थान.................................

दिनांक..............................

हस्ताक्षर..............................

पूरा नाम.............................

पदनाम..............................

मुहर...................................

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/
परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/ अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट,
यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी

प्रारूप-2

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी................................. सुपुत्र/सुपुत्री/श्री... निवासी ग्राम................... तहसील..................... नगर.......................... जिला.................................उत्तर प्रदेश राज्य की.................................. पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम

2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता पिता की निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पांच लाख रूपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है। श्री/श्रीमती/कुमारी...................................... तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम............................ तहसील............................नगर.............................जिला..........................में सामान्यतः रहता है ।

स्थान.................................   हस्ताक्षर..............................

दिनांक...............................   पूरा नाम.............................

पदनाम..............................

मुहर.................................

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

<u>प्रारूप-3</u>

<u>उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र</u>

शासनादेश संख्या-4/3/1982-कार्मिक-2,1997 दिनांक 26 दिसम्बर, 1997

<u>प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी... निवासी..............................ग्राम..........................तहसील.....................नगर.............. ....जिला.......................उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित).........................पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)...................................के आश्रित हैं।

स्थान..

दिनांक.......................................

हस्ताक्षर.....................................

पूरा नाम....................................

पद नाम.....................................

मुहर...

जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/

सिटी मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

5.9-**जातियों की सूची**

उ0प्र0 लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम-2002 तथा एतदर्थ समय-समय पर निर्गत प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के जातियों की सूची ।

(1) अनुसूचित जातियों की सूची

1-अगरिया (सोनभद्र को छोड़ते हुए), 2-बधिक, 3-बादी, 4-बहेलिया, 5-बैगा (सोनभद्र को छोड़ते हुए), 6-बैसवार, 7-बजनिया, 8-बाजगी, 9-बलहर, 10-बलाई, 11-बाल्मीकि, 12-बंगाली, 13-बनमानुष, 14-बासफोड़, 15-बरवार, 16-बसोड, 17-बावरिया, 18-बेलदार, 19-बैरिया, 20-भंतू, 21-भुईया (सोनभद्र को छोड़ते हुए), 22-भुईयार, 23-बोरिया, 24-चमार, धुसिया,झूसिया, जाटव, 25-चेरी (सोनभद्र व वाराणसी को छोड़ते हुए), 26-दबगर, 27-धनगर, 28-धानुक, 29-धरकार, 30-धोबी, 31-डोम, 32-डोमर, 33-दुसाध, 34-धर्मी, 35-धुसिया, 36-गोंड (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र को छोड़ते हुए), 37-ग्वाल, 38-हबुड़ा, 39-हरी, 40-हेला, 41-कलाबाज, 42-कंजड़,43-कबड़िया, 44-करवल, 45-खरेता, 46-खरवार (बनवंसी को छोड़कर), (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी व सोनभद्र को छोड़कर),47-खटिक, 48-खोरोट, 49-कोल, 50-कोरी, 51-कोर्बा, 52-लालबेगी, 53-मंझवार, 54-मजहबी, 55-मुसहर, 56-नट, 57-पंखा (सोनभद्र व मिर्जापुर को छोड़कर),58-परहिया (सोनभद्र को छोड़कर),59-पासी, तरमाली, 60-पतरी (सोनभद्र को छोड़कर),61-रावत, 62-सहरिया (ललितपुर को छोड़कर),63-सिनोरिया, 64-सांसिया, 65-शिल्पकार, 66-तुरहा

(2) अनुसूचित जनजातियों की सूची

1-भोटिया, 2-बुक्सा, 3-जौनसारी, 4-राजी, 5-थारू, 6-गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड (महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में), 7-खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी व सोनभद्र में), 8- सहरिया (ललितपुर में),9- परहिया (सोनभद्र में),10-बैगा (सोनभद्र में),11- पंखा (सोनभद्र व मिर्जापुर में),12- अगरिया (सोनभद्र में),13-पतरी (सोनभद्र में),14- चेरी (सोनभद्र व वाराणसी में),15- भुईया, भुईनिया (सोनभद्र में)

(**स्पष्टीकरण-** धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, गोंड जनजाति के पर्यायवाची के रूप में सम्मिलित है तथा ये उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जन जातियों की सूची में अलग से वर्गीकृत नहीं है।)

(3) अन्य पिछड़े वर्गों की सूची

1-अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय, 2-सोनार, सुनार, स्वर्णकार, 3-जाट, 4-कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी-सैंथवार, 5-गिरी, 6-गूजर, 7-गोसाई, 8-लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत, 9-कम्बोज, 10-अरख, अर्कवंशीय, 11-काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य, 12-कहार, कश्यप, 13-केवट, मल्लाह, निषाद, 14-किसान, 15-कोइरी, 16-कुम्हार,

प्रजापति, 17-कसगर, 18-कुजड़ा या राईन, 19-गड़ेरिया, पाल, बघेल, 20-गद्दी, घोसी, 21-चिकवा, कस्साब, कुरैशी, चक, 22-छीपी, छीपा, 23-जोगी, 24-झोजा, 25-डफाली, 26-तमोली, बरई, चैरसिया, 27-तेली, सामानी, रोमनगर, साहू, रौनियार, गन्धी, अर्राक, 28-दर्जी, इदरीसी, काकुत्स्थ, 29-धीवर, 30-नक्काल, 31-नट (जो अनुसूचित जातियो की श्रेणी में सम्मिलित न हो),32-नायक, 33-फकीर, 34-बंजारा, रंकी, मुकेरी, मुकेरानी, 35-बढ़ई, सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जागिड़, धीमान, 36-बारी, 37-बैरागी, 38-बिन्द, 39-बियार, 40-भर, राजभर, 41-भुर्जी, भड़भूजा, भूज, कादू, कशोधन, 42-भठियारा, 43-माली, सैनी, 44-स्वीपर (जो अनुसूचित जातियो की श्रेणी में सम्मिलित न हो), हलालखोर, 45-लोहार, लोहार-सैफी, 46-लोनिया, नोनिया, गोले-ठाकुर, लोनिया-चौहान, 47-रंगरेज, रंगवा, 48-मारछा, 49-हलवाई, मोदनवाल, 50-हज्जाम, नाई, सलमानी, सविता, श्रीवास, 51-राय सिक्ख, 52-सक्का-भिश्ती, भिश्ती-अब्बासी, 53-धोबी (जो अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जन जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो),54-कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार, 55-नानबाई, 56-मीरशिकार, 57-शेख सरवारी (पिराई), पीराही, 58-मेव, मेवाती, 59-कोष्टा/कोष्टी, 60-रोड़,61-खुमरा, संगतराश, हंसीरी, 62-मोची, 63-खागी, 64-तंवर सिंघाड़िया, 65-कतुआ, 66-माहीगीर, 67-दांगी, 68-धाकड़, 69-गाडा, 70-तंतवा, 71-जोरिया, 72-पटवा, पटहारा, पटेहरा, देववंशी, 73-कलाल, कलवार, कलार, 74-मनिहार, कचेर, लखेरा, 75-मुराव, मुराई, मौर्य, 76-मोमिन (अंसार),77-मुस्लिम कायस्थ, 78-मिरासी, 79-नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, कडेरे, करण(कर्ण)।

<u>6- आवेदन की प्रक्रिया:-</u>

इस प्रक्रिया के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित विकल्प हैं:-

6.1- ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र: अधिसूचित डाकघरों से ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र प्राप्त कर डाकघर में जमा कराया जाना।

1- आवेदन-पत्र उत्तर प्रदेश के अधिसूचित डाकघरों में बिन्दु-2.1(अ) में निर्धारित समय सारणी के अनुसार उपलब्ध होंगे।

2- आवेदन-पत्र उत्तर प्रदेश में अधिसूचित डाकघरों से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकेगें, जिसकी रसीद सम्बन्धित डाकघर द्वारा दी जायेगी। आवेदन-पत्र ओ.एम.आर. प्रपत्र के रूप में होंगे तथा अभ्यर्थी अपने नाम से प्राप्त किये गये ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र पर ही आवेदन कर सकेंगे।

3- आवेदन-पत्र दो प्रकार के होंगे-

(1) नये अभ्यर्थियों के लिए आवेदन-पत्र निर्धारित शुल्क रू0 200/- का भुगतान करने पर प्राप्त होंगे।

(2) जिन अभ्यर्थियों ने बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति संख्याः पीआरपीबी-दो-1(2)2011 दिनांक 15.07.2011 के अनुसरण में पुलिस आरक्षी या आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांन्सटेबुलरी अथवा दोनों पद पर भर्ती के लिए आवेदन

किया था उनके लिए आवेदन-पत्र भिन्न है। यह आवेदन-पत्र अभ्यर्थी द्वारा **परिशिष्ट-3** में निर्धारित प्रारूप में अधिसूचित डाकघर में आवेदन करने पर उन्हें निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थी इस आवेदन के लिए प्रारूप की छायाप्रति का भी उपयोग कर सकते हैं। **पूर्व विज्ञप्ति दिनांकित 15-07-2011 केअ भ्यर्थी यह नि:शुल्क ओ.एम.आर. आवेदन पत्र उसी डाकघर से प्राप्त कर सकेंगे जिस डाकघर से उन्होंने पूर्व में वर्ष 2011 में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा किया था ।**

4- विधिवत भरे हुए आवेदन-पत्र सम्बन्धित डाकघर में निर्धारित समय सारणी के अनुसार जमा किये जा सकेंगे। इसके पश्चात् आवेदन-पत्र सम्बन्धित डाकघर द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन-पत्र जिस डाकघर से प्राप्त किये गये हैं, उसी डाकघर में जमा किये जायेंगे। **अभ्यर्थियों द्वारा सीधे बोर्ड को प्रेषित ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।**

5- ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र प्राप्त कर लेने पर उसका शुल्क वापस नहीं किया जायेगा चाहे उसे अभ्यर्थी द्वारा प्रयोग में लाया गया हो अथवा नहीं।

6- अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन-पत्र भर सकेगा। एक से अधिक आवेदन-पत्र भरने पर उसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

7- ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र के साथ कोई अभिलेख संलग्न नहीं किये जायेंगे। पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेखों की मूलरूप में जांच निर्धारित समिति द्वारा की जायेगी तथा अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

8- ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र भरते समय इरेजर/सफेदा/करेक्टिगं फ्ल्यूड अथवा ब्लेड का प्रयोग कतई न किया जाये अन्यथा आवेदन-पत्र में भरे गये गोले मशीन द्वारा नहीं पढ़े जायेंगे तथा ऐसे आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9- अभ्यर्थी द्वारा ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र व अनुदेश-पुस्तिका में अंकित निर्देशों की उपेक्षा/अवहेलना करने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। ।

10- ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य अनुदेश, बिन्दुवार अनुदेश, सूचनायें व कोड परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध हैं ।

<u>6.2-ऑनलाइन आवेदन-पत्र: इन्टरनेट के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट पर सीधे आवेदन-पत्र जमा किया जाना।</u>

'आन-लाइन आवेदन पत्र' भरने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः-

(1) बोर्ड की वेबसाइट http://prpb.up.nic.in पर जायें ।

(2) आनलाइन आवेदन को भरे जाने हेतु अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध **सामान्य एवं विस्तृत** निर्देशों को भलीभांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

(3) बोर्ड की वेबसाइट पर आन-लाइन विज्ञापन के सम्मुख **'Candidates Registration'** को 'क्लिक' करने पर आवेदन का एक प्रारूप स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा, जिसमें अभ्यर्थी वांछित सूचनायें भरेंगे ।

(4) आन-लाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित तीन चरणों में किया जायेगाः-

(i) **प्रथम चरण-पंजीकरण**

अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित **'Candidates Registration'** को क्लिक करने पर प्राप्त फार्म में सूचनायें भरकर पंजीकरण करें तथा '**Registration Slip**' प्रिन्ट कर अपने पास सुरक्षित रख लें। इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक अथवा पंजाब नेशनल बैंक में से किसी एक बैंक का ई-चालान प्रिन्ट कर लें। ध्यान रखें कि अगले चरण में रजिस्ट्रेशन नम्बर अभ्यर्थी को निर्धारित स्थान पर सही-सही प्रविष्ट करना होगा।

(ii) द्वितीय चरण-शुल्क का भुगतान

प्रथम चरण में प्राप्त ई-चालान अभ्यर्थी द्वारा **यथास्थिति भारतीय स्टेट बैंक अथवा पंजाब नेशनल बैंक** की किसी भी शाखा में अगले कार्य दिवस में पूर्वान्ह 11:00 बजे के बाद प्रस्तुत कर निर्धारित धनराशि का भुगतान किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ई-चालान पर भुगतान प्राप्त करने के पश्चात बैंक द्वारा अभ्यर्थी की ई-चालान की प्रति में ट्रान्जेक्शन आई0डी0 (भारतीय स्टेट बैंक) या जर्नल नम्बर (पंजाब नेशनल बैंक) एवं दिनांक अंकित कर अभ्यर्थी को वापस की जायेगी। इस ट्रान्जेक्शन आई0डी0 या जर्नल नम्बर का उपयोग तृतीय चरण में आवेदन पत्र भरने के लिए किया जायेगा।

(iii) तृतीय चरण-आवेदन पत्र जमा किया जाना

(1) बैंक में शुल्क जमा करने के दिवस को छोड़कर अगले कार्य दिवस को अपरान्ह 02:00 बजे के उपरान्त अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित '**Submit Application Form**' को क्लिक करना होगा। प्रदर्शित फार्म में रजिस्ट्रेशन नम्बर, बैंक का नाम, ट्रान्जेक्शन आई0डी0 या जर्नल नम्बर तथा दिनांक का विवरण सही-सही अंकित करने पर विस्तृत आवेदन फार्म उपलब्ध होगा जो अभ्यर्थी द्वारा भरा जायेगा।

(2) फार्म में अन्य सूचनाओं के अतिरिक्त फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी अपनी रंगीन फोटो व हस्ताक्षर आवेदन में उल्लिखित निर्धारित आकार में ही स्कैन करें। यह भी ध्यान रखें कि फोटो नवीनतम और आवक्ष तक होनी चाहिए। सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। यदि फोटो व हस्ताक्षर निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता तो आवेदन पत्र को आन-लाइन सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा।

(3) आवेदन प्रारूप पर सभी प्रविष्टियां अंकित करने के बाद **'View Application Form'** को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनायें सही-सही भरी गयीं हैं।

(4) पूरी तरह सन्तुष्ट होने के बाद आवेदन पत्र बोर्ड को जमा करने हेतु **'Submit'** बटन को क्लिक करें। **यदि अभ्यर्थी द्वारा 'Submit' बटन को क्लिक नहीं किया जायेगा तो आवेदन बोर्ड को प्राप्त नहीं होगा।**

(5) **'Submit'** बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिन्ट आउट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिन्ट आउट बोर्ड में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(6) एक बार आवेदन **'Submit'** करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा ।

(7) आन-लाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण-पत्र/ अंकतालिका प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।

(8) जिन अभ्यर्थियों ने बोर्ड की विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबी-दो-1(2)2011 दिनांक 15.07.2011 के अनुसरण में पुलिस आरक्षी या आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांन्सटेबुलरी अथवा दोनों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया था वे भी ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं। उनके अभ्यर्थन के सत्यापन के उपरान्त उन्हें आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की जायेगी। यह पूरी प्रक्रिया ऑन-लाइन सम्पादित होगी ।

(9) अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र (यथास्थिति शुल्क/निःशुल्क) अथवा ऑनलाइन आवेदन में से केवल एक ही माध्यम से आवेदन करें अन्यथा बोर्ड द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

<u>6.3- आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुः-</u>

(1) जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में हैं उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(2) किसी सेवारत अभ्यर्थी की फोटो में कोई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र पर चस्पा किये जा रहे फोटो अथवा लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी धारित नहीं करनी चाहिए अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(3) अभ्यर्थी, आवेदन-पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन-पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) जिन अभ्यर्थियों ने बोर्ड की विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबी-दो-1(2)2011 दिनांक 15.07.2011 के अनुसरण में पुलिस आरक्षी या आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कांन्सटेबुलरी अथवा दोनों पदों पर भर्ती के लिए आवेदन किया था परन्तु उनके पास ओ.एम.आर. संख्या उपलब्ध नही है, उनकी सुविधा के लिए बोर्ड की वेबसाइट- **http://uppbpb.gov.in** पर 'क्वेरी' (Query) उपलब्ध है ।

(5) जो अभ्यर्थी बोर्ड की विज्ञप्ति संख्याःपीआरपीबी-दो-1(2)2011 दिनांक 15.07.11 में अभ्यर्थी होने के कारण निःशुल्क आवेदन करने का लाभ प्राप्त करते हैं, उनके विवरण का सत्यापन बोर्ड द्वारा कराया जायेगा। असत्य सूचना देकर किये गये निःशुल्क आवेदन (ओ.एम.आर. अथवा ऑनलाइन) को निरस्त कर दिया जायेगा।

<u>7-अन्य</u>

1- विज्ञापित पदों पर की जा रही यह भर्ती अस्थाई है।

2- अभ्यर्थी दिवालिया न हो तथा किसी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित न हुआ हो।

3- किसी अनाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लम्बित होने, दोषसिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन अथवा चयन के सम्बन्ध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा बोर्ड की परीक्षाओं एव चयनों से प्रतिवारित (Debar) करने का अधिकार बोर्ड को होगा।

4- यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित अर्हताओं को पूरी नहीं करता है और/अथवा उसने गलत/झूठी सूचना/ सर्टिफिकेट/ अभिलेख प्रस्तुत किये हैं अथवा उसने कोई वास्तविक तथ्य छुपाये हैं, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। यदि इस प्रकार की कोई कमी अभ्यर्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात प्रकाश में आती है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

<u>8-बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा</u>

अभ्यर्थी की पात्रता, आवेदन पत्रों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षाओं के आयोजन व परीक्षा केन्द्रों के आवंटन सम्बन्धी सभी मामलों में बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

अपर सचिव (भर्ती)
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।

प्रारम्भिक लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

1-सामान्य ज्ञान एवं सामयिक विषय (General knowledge and Current affairs)

(क) सामान्य ज्ञान(General knowledge)

History-इतिहास, Culture-संस्कृति, Geography-भूगोल, Economics-अर्थशास्त्र, Indian Constitution-भारतीय संविधान, Sports-खेल, Literature-साहित्य, Science-विज्ञान, Specific knowledge about Education, Culture and Social Custom of Uttar Pradesh-उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के सम्बन्ध में विशिष्ट जानकारी, Revenue, Police and General Administration System in Uttar Pradesh-उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, Protection of Women and Children-महिलाओं और बच्चों का संरक्षण, Basics/Fundamental of Information & Communication Technology-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक/आधारभूत ज्ञान, Environmental Studies-पर्यावरणीय ज्ञान, Basics of Language-Hindi Grammar-भाषा का मौलिक ज्ञान-हिन्दी व्याकरण।

(ख) सामयिक विषय (Current affairs)

Current events of National and International importance-राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, Important Personalities-महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, Appointments-नियुक्तियां, Prize-पुरस्कार, Important Places-प्रमुख स्थल, Main Committees and Commissions-प्रमुख समितियां एवं आयोग, Burning Issues and Disputes-ज्वलन्त मुद्दे एवं विवाद, Major Settlements-प्रमुख समझौते, Judicial Decisions-न्यायिक निर्णय, Books and Authors-पुस्तक और लेखक, Abbreviations-संक्षिप्त रूप, Miscellaneous -विविध।

2-तार्किक क्षमता (Reasoning Ability)

Analogies-समरूपता, Similarities-समानता, Differences-भिन्नता, Space visualization-खाली स्थान भरना, Problem solving-समस्या को सुलझाना, Analysis and Judgement-विश्लेषण और निर्णय, Decision-making-निर्णायक क्षमता, Visual memory-दृश्य स्मृति, Discrimination-विभेदन क्षमता, Observation-प्रेक्षण, Relationship-सम्बन्ध, Concepts-अवधारणा, Arithmetical reasoning-अंकगणितीय तर्क, Verbal and figure classification-शब्द और आकृति वर्गीकरण, Arithmetical number series अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships-अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता, Arithmetical computations and other analytical functions-अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य।

3-आंकिक क्षमता (Numerical Ability)

Number System-संख्या पद्धति, Simplification-सरलीकरण, Decimals and Fraction-दशमलव और भिन्न, Highest common factor and lowest common multiple-महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, Ratio and Proportion-अनुपात और समानुपात, Percentage -प्रतिशतता, Profit and Loss-लाभ और हानि, Discount-छूट,

Simple interest-साधारण ब्याज, Compound interest-चक्रवृद्धि ब्याज, Partnership-भागीदारी, Average-औसत, Time and Work-समय और कार्य, Time and Distance-समय और दूरी, Use of Tables and Graphs-सारणी और ग्राफ का प्रयोग, Mensuration-मेन्सुरेशन, Miscellaneous -विविध

परिशिष्ट-2

मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम

1-सामान्य जानकारी(General Awareness)

Indian polity-भारतीय राजतंत्र, Indian Administration-भारतीय प्रशासन, Indian Independence Movement-भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन, Indian Constitution and Law-भारतीय संविधान एवं विधि, Current (National and International) Events-सामयिक (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) घटनायें, Right to Information-सूचना का अधिकार, Indian Society -भारतीय समाज, Gender Issues-लैंगिक मुद्दे, Basics of Computer Skills and Awareness-कम्प्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, Human Rights-मानवाधिकार, Internal Security and Terrorism-आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, Secularism-धर्मनिरपेक्षता, Environment-पर्यावरण, General Science-सामान्य विज्ञान, Relations between India and its Neighbouring Countries-भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच सम्बन्ध ।

2-मानसिक क्षमता (Mental Ability)

Logical Diagrams-तार्किक आरेख, Symbol-Relationship Interpretation-संकेत-सम्बन्ध विश्लेषण, Codification-संकेतीकरण, Perception Test-प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, Word formation Test-शब्द रचना परीक्षण, Letter and number series-अक्षर और संख्या श्रृंखला, Word and alphabet Analogy-शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, Common Sense Test-व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, Letter and number coding-अक्षर और संख्या संकेत, Direction sense Test-दिशा ज्ञान परीक्षण, Logical interpretation of data-आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, Forcefulness of argument-प्रभावी तर्क, Determining implied meanings -अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना ।

3-तर्कशक्ति (Reasoning)

Analogies-समरूपता, Similarities-समानता, Differences-भिन्नता, Space visualization-खाली स्थान भरना, Problem solving-समस्या को सुलझाना, Analysis and Judgement-विश्लेषण और निर्णय, Decision-making-निर्णायक क्षमता, Visual memory-दृश्य स्मृति, Discrimination-विभेदन क्षमता, Observation-प्रेक्षण, Relationship-सम्बन्ध, Concepts-अवधारणा, Arithmetical reasoning-अंकगणितीय तर्क, Verbal and figure classification-शब्द और आकृति वर्गीकरण, Arithmetical number series-अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, Abilities to deal with abstract ideas and symbols and their relationships-अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके सम्बन्धों से सामंजस्य की क्षमता, Arithmetical computations and other analytical functions-अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य।

4-बोधगम्यता (Comprehension)

इसके अन्तर्गत अभ्यर्थी के बोधगम्यता कौशल के परीक्षण के लिए साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति, सामाजिक विज्ञान, दर्शनशास्त्र, नीतिशास्त्र व अन्य मानविकी विषय से लिए गये उद्धरण (Passage) पर आधारित प्रश्न पूछे जायेगें। हिन्दी भाषा के गद्यांश या पद्यांश पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

परिशिष्ट-3

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ

निःशुल्क ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए अनुरोध-पत्र का प्रारूप

(केवल पुलिस आरक्षी व आरक्षी पीएसी सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा-2011 के अभ्यर्थियों के लिए)

1- अभ्यर्थी का नाम -
(अंग्रेजी के बडे अक्षरों में)

2- अभ्यर्थी का नाम -
(हिन्दी में)

3- पिता/पति का नाम -
(अंग्रेजी के बडे अक्षरों में)

4- माता का नाम -
(अंग्रेजी के बडे अक्षरों में)

5- जन्म तिथि-

6- श्रेणी-

7- गृह जनपद-

8- पुलिस आरक्षी व आरक्षी पीएसी सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा-2011 की

ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र संख्या-

घोषणा

मैने पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी पीएसी की सीधी भर्ती की संयुक्त परीक्षा-2011 के लिए अपना आवेदन-पत्र डाकघर ....जनपद .... में जमा किया था, जिसकी ओ0एम0आर0 आवेदन-पत्र संख्या उपरोक्तानुसार है। कृपया मुझे वर्तमान में निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष निःशुल्क आवेदन-पत्र प्रदान किया जाये।

2- मै घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त दी गयी सूचनायें मेरे संज्ञान में सत्य हैं। इन सूचनाओं के अधूरे या असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक-

स्थान- अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

परिशिष्ट-4

ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य अनुदेश

(क) ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य अनुदेश:-

(1) ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञप्ति और अनुदेश-पुस्तिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

(2) ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी स्वयं अपने हस्तलेख में सही और पूर्ण सूचना अंकित करें। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् उसमें किसी संशोधन या परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(3) ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भरने हेतु दिये गये अनुदेश में चौकोर खाना अथवा बॉक्स का तात्पर्य ☐ से है एवं गोले का तात्पर्य (O) से है, जो आवेदन पत्र में बने हुए हैं। इन्हें भरने के लिए ओ.एम.आर. में दिये गये निर्देश व दृष्टान्त का भलीभांति अध्ययन कर लें।

(4) ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में सूचना गोले एवं बॉक्स के माध्यम से भरी जायेगी। कम्प्यूटर द्वारा केवल गोलों की सूचनाओं को पढ़ा जायेगा। बॉक्स केवल अभ्यर्थी की सहायतार्थ बनाये गये हैं, ताकि आप आसानी से सम्बन्धित गोलों को सही सही भर सकें। बॉक्स या गोले को काले या नीले बाल प्वाइंट पेन से ही भरा जाये। प्रविष्टियों के साथ बने हुए बॉक्स में अक्षर अथवा अंक निर्देशानुसार भरें जायें। एक बॉक्स में एक ही अक्षर अथवा अंक लिखें। सावधानीपूर्वक भरें, ओवरराइटिंग/कटिंग न होंने दें।

(5) क्षतिग्रस्त, मुड़े हुए, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण तरीके से भरे गये आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पर चिपकाये जाने वाली अपनी फोटोग्राफ को चिपकाने से पूर्व फोटोग्राफ के पीछे काले या नीले बाल प्वाइन्ट पेन से अपना नाम तथा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र संख्या अवश्य अंकित करें।

(7) ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की संख्या अपनी सुविधा हेतु अपने पास अवश्य नोट कर लें।

(8) भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ किसी अभिलेख की मूल अथवा प्रमाणित प्रतियां न रखी जाये।

(9) भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक डाकघर में जमा करने वाले लिफाफे में रखें। इस लिफाफे को चिपकाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चिपकाने वाला गोंद अथवा पदार्थ भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पर न लग जाये। ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में किसी प्रकार के मोड़ या फटा होना, छेद होना एवं आलपिन, टेप आदि के प्रयोग से क्षतिग्रस्त होने के कारण कम्प्यूटर द्वारा उसे नहीं पढ़ पाने की स्थिति में, आपका अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है ।

(10) भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र को उसी डाकघर में जमा करें, जहां से ओ.एम.आर. आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था ।

(11) अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की पावती डाकघर में जमा करते समय अवश्य प्राप्त कर लें।

(12) आवेदन पत्र, विज्ञप्ति में निर्धारित अन्तिम तिथि व समय तक अवश्य जमा कर दिया जाय। यह सुनिश्चित करना अभ्यर्थी का दायित्व है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

(13) अभ्यर्थी केवल एक ही आवेदन-पत्र जमा करें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र जमा किया जायेगा तो बोर्ड द्वारा उसके अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया जायेगा ।

(14) अपूर्ण तथा अपेक्षित योग्यता एवं अर्हता पूर्ण न करने वाले आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेगें एवं इस सम्बन्ध में कोई पत्र व्यवहार/दावा मान्य नहीं होगा ।

(ख) ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र भरने हेतु बिन्दुवार अनुदेश:-

1-आवेदित पद का नाम:-

अभ्यर्थी जिन पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं उन सभी पदों के सामने बने गोलों को भरें। महिला अभ्यर्थी केवल पुलिस आरक्षी पद हेतु ही आवेदन करें। पूर्व निर्गत विज्ञप्ति दिनांक 15-07-2011 के ऐसे अभ्यर्थी जो दिनांक 01-07-2013 को अधिक आयु होने के कारण आयु सीमा में छूट पाकर पात्र हैं, वे केवल पुलिस आरक्षी या आरक्षी प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी अथवा दोनों पदों हेतु ही आवेदन करें। तदनुसार गोले भरें ।

2-अभ्यर्थी का नाम (अंग्रेजी में)

अभ्यर्थी अपना नाम हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार अंग्रेजी में अपने हस्तलेख में लिखें। नाम के साथ श्री/श्रीमती/कुमारी आदि सम्बोधन के शब्दों को न लिखें। उपनाम (**SURNAME**) को पहले नहीं लिखें। अभ्यर्थी सर्वप्रथम अलग पेपर पर अपना पूरा नाम लिखकर यह सुनिश्चित कर लें कि कितने चौकोर खानों की आवश्यकता होगी, प्रथम नाम, मध्य नाम व उपनाम के बीच एक-एक चौकोर खाना खाली अवश्य छोड़ा जाय। ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में 30 अक्षर के नाम के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। यदि 30 से अधिक की आवश्यकता होती है तो अभ्यर्थी निम्न प्रकार से अपने नाम को लघु कर सकता है। यदि आपका नाम:- **"RAGHAVENDRA PRATAP SINGH CHAUHAN"** है तो **"RAGHAVENDRA P.S. CHAUHAN"** इस प्रकार चौकोर खानों में लिखकर उसके नीचे सम्बन्धित **गोले** को भरेः-

R	A	G	H	A	V	E	N	D	R	A		P		S		C	H	A	U	H	A	N

3-जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार):-

अभ्यर्थी हाईस्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार जन्मतिथि के चौकोर खानों में जन्म की तिथि, माह एवं वर्ष लिखें तथा चौकोर खाने के नीचे सम्बन्धित गोले भरें। यदि कोई तिथि अथवा माह 1 से 9 अंकों के बीच का है तो बॉक्स एवं गोले में इस अंक से पूर्व जीरो '0' अवश्य लगायें ।

उदाहरणः-यदि जन्मतिथि 5 मार्च है तो तिथि के बॉक्स व गोले में 05 एवं माह के बॉक्स व गोले में 03 भरा जाये, तदनुसार जन्म के वर्ष को सम्बन्धित बॉक्स तथा गोले भरें।

4-राष्ट्रीयता:-

अभ्यर्थी यथा लागू भारतीय के सम्मुख बने 1, तिब्बती शरणार्थी के सम्मुख बने 2 तथा भारतीय मूल के आव्रजक व्यक्ति के सम्मुख बने 3 के गोले को भरें ।

5-लिंग:-

पुरूष अभ्यर्थी **(M)** तथा महिला अभ्यर्थी **(F)** के गोले भरें।

6-श्रेणी:-

श्रेणी के सम्मुख बने गोलों में से सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी 1 के गोले को, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी 2 के गोले को, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 3 के गोले को तथा अन्य पिछड़े वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी 4 के गोले को भरें ।

7-अधिमानी अर्हताएं-

अभ्यर्थी यथा धारित अधिमानी अर्हता के अनुसार राष्ट्रीय कैडेट कोर 'बी' प्रमाण पत्र के लिए 1, प्रादेशिक सेना (न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि की सेवा) के लिए 2 तथा केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन के प्रमाण-पत्र के लिए 3 के गोले भरें ।

8-अर्हकारी शैक्षिक योग्यता (इण्टरमीडिएट या समकक्ष) का विवरण

8.1 यदि अभ्यर्थी इण्टरमीडिएट या समकक्ष शैक्षिक योग्यता धारित करते हैं तो **Y** के गोले को भरें अन्यथा **N** के गोले को भरें।

8.2 यदि हां तो परीक्षा का नाम, बोर्ड/संस्था का नाम, परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष व अनुक्रमांक लिखें ।

9-हाईस्कूल का प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, का विवरण:-

अभ्यर्थी बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण होने का वर्ष तथा हाईस्कूल का अनुक्रमांक लिखें ।

10-पत्र व्यवहार का पता (केवल हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में)

अभ्यर्थी पत्र व्यवहार का पता केवल हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में निर्धारित लाइन पर लिखें। मकान नं0/ग्राम, गली नं0/पोस्ट आफिस, मुहल्ला/कस्बा/ नगर, थाना, जनपद/ राज्य एवं पिनकोड अवश्य लिखें। अपूर्ण/अस्पष्ट पता लिखे जाने की स्थिति में बुलावा पत्र/ सूचना अभ्यर्थी को न मिलने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा ।

11-स्थायी पता (केवल हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में)

अभ्यर्थी स्थायी पता केवल हिन्दी के स्पष्ट अक्षरों में निर्धारित लाइन पर लिखें। मकान नं0/ग्राम, गली नं0/पोस्ट आफिस, मुहल्ला/कस्बा/ नगर, थाना, जनपद/ राज्य एवं पिनकोड अवश्य लिखें।

12-फोटोग्राफ:-

अभ्यर्थी 35 मिमी0 (1.4 इंच) x 45 मिमी0 (1.75 इंच) आकार का हाल ही में खींचा गया आवक्ष रंगीन फोटोग्राफ यहां ठीक ढंग से केवल गोंद द्वारा चिपकायें (स्टेपल न करें एवं फोटो स्वप्रमाणित/सत्यापित न करवायें, फोटो के पीछे अपना नाम व आवेदन पत्र संख्या लिखें)। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए:-

(1) चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/छाया नहीं होनी चाहिए ।

(2) कंधे साफ दिखने चाहिए।

(3) ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो तथा लगभग 70 प्रतिशत भाग आच्छादित करता हो ।

(4) चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हुए ।

(5) चश्मा पहनने की स्थिति में ऑखें साफ दिखनी चाहिए और ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए ।

(6) कैमरे पर सीधी नजर हो ।

(7) तटस्थ अभिव्यक्ति (मुंह बन्द, ऑखें खुली) ।

(8) सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।

(9) नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।

12.1-अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

निर्धारित स्थान पर अभ्यर्थी द्वारा पूरा हस्ताक्षर किया जाये। यही पूर्ण हस्ताक्षर सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया में मान्य होगा ।

13-पति (यदि अभ्यर्थी विवाहित महिला हो) का नाम (अंग्रेजी में)

विवाहित महिला अभ्यर्थी अपने पति का नाम बिन्दु संख्या-14 में दिये गये उदाहरण/अनुदेश के अनुरूप अंग्रेजी में बॉक्स में लिखें।

14-पिता का नाम (अंग्रेजी में)

अभ्यर्थी अपने पिता का नाम अंग्रेजी में अपने हस्तलेख में लिखें। नाम के साथ 'श्री' के सम्बोधन के शब्दों को न लिखें। उपनाम (**SURNAME**) को पहले नहीं लिखें। अभ्यर्थी सर्वप्रथम अलग पेपर पर अपने पिता का पूरा नाम लिखकर यह सुनिश्चित कर लें कि कितने चौकोर खानों की आवश्यकता होगी। प्रथम नाम, मध्य नाम व उपनाम के बीच एक-एक चौकोर खाना खाली अवश्य छोड़ा जाय। ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में 21 अक्षर के नाम के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। यदि 21 से अधिक की आवश्यकता होती है तो अभ्यर्थी निम्न प्रकार से अपने पिता के नाम को लघु कर सकता है। यदि पिता का नामः- **"TRIPURENDRA KUMAR SINGH PATEL"** है तो **"TRIPURENDRA K. S. PATEL"** इस प्रकार चौकोर खानों में लिखकर उसके नीचे सम्बन्धित **गोले** को भरेः-

T	R	I	P	U	R	E	N	D	R	A		K		S		P	A	T	E	L

<u>15-माता का नाम (अंग्रेजी में)</u>

अभ्यर्थी अपनी माता का नाम बिन्दु संख्या-14 में दिये गये उदाहरण/अनुदेश के अनुरूप अंग्रेजी में बॉक्स में लिखें एवं नीचे बने संगत गोलों को भरें ।

<u>16-पत्र व्यवहार का पिनकोड</u>

अभ्यर्थी निर्धारित बॉक्स में पिनकोड लिखें एवं तदनुसार संगत गोले भरें ।

<u>17-सम्पर्क मोबाइल नम्बर:-</u>

अभ्यर्थी कृपया अपना सम्पर्क मोबाइल नम्बर निर्धारित बॉक्स में लिखें एवं तदनुसार संगत गोले भरें ।

18- यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व विज्ञप्ति संख्या:पीआरपीबी:-दो-1(2) 2011 दिनांक 15-07-2011 के अन्तर्गत आवेदन किया गया था, तो उसकी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र संख्या निर्धारित बॉक्स में लिखें एवं तदनुसार संगत गोले भरें ।

<u>19-पुलिस आरक्षी, आरक्षी पीएसी व फायरमैन के पद पर चयन हेतु वरीयता (केवल पुरूष अभ्यर्थी ही भरें)</u>

अभ्यर्थी आवेदित पद के अनुसार यथास्थिति प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता के अनुसार गोले भरें ।

<u>उदाहरण के लिये-</u>

यदि कोई अभ्यर्थी आरक्षी पीएसी को प्रथम वरीयता देना चाहता है और पुलिस आरक्षी एवं फायरमैन के पद के लिए क्रमश: द्वितीय एवं तृतीय वरीयता देना चाहता है तो निम्नानुसार संगत गोले भरे जायेंगे:-

	प्रथम वरीयता	द्वितीय वरीयता	तृतीय वरीयता
पुलिस आरक्षी	○	●	○
आरक्षी पीएसी	●	○	○
फायरमैन	○	○	●

<u>20-यदि अभ्यर्थी उ0प्र0 का मूल निवासी है, तो गृह जनपद का कोड भरें ।</u>

यदि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो बॉक्स में गृह जनपद का कोड (परिशिष्ट-4 ग के अनुसार) लिखें एवं तदनुसार संगत गोले को भरें ।

<u>20.1-क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं ?</u>

यदि अभ्यर्थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित है तो **Y** के गोले को भरे अन्यथा **N** के गोले को भरे ।

<u>20.2- क्या अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक है ?</u>

यदि अभ्यर्थी भूतपूर्व सैनिक हैं तो **Y** के गोले को भरे अन्यथा **N** के गोले को भरे ।

<u>20.3 यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो सेवा की अवधि</u>

भूतपूर्व सैनिक सेवा की अवधि दिन, माह एवं वर्ष के लिए बने बॉक्स में लिखें एवं तदनुसार संगत गोले भरें।

<u>20.4-क्या अभ्यर्थी द्वारा उ0प्र0 होमगार्डस में तीन वर्ष या अधिक की सेवा की गयी है ?</u>

यदि अभ्यर्थी द्वारा उ0प्र0 होमगार्डस में तीन वर्ष या अधिक की सेवा की गयी है तो **Y** के गोले को भरे अन्यथा **N** के गोले को भरे ।

<u>21-परीक्षा केन्द्र के जनपद का विकल्प वरीयता के आधार पर भरें (जनपद कोड अंकित करें)</u>

अभ्यर्थी कृपया प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता के अनुसार जनपद कोड (परिशिष्ट-4 ग के अनुसार) निर्धारित बॉक्स में अंकित करें एवं तदनुसार संगत गोले भरें ।

22-घोषणा पत्र

अभ्यर्थी तथ्यों एवं शर्तों के आधार पर घोषणा पत्र भरेगा। अभ्यर्थी निर्धारित स्थान पर अपना पूरा हस्ताक्षर, स्थान व तिथि बॉक्स में अंकित करेगा ।

(ग) ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भरे जाने हेतु जनपद एवं उनके कोड का विवरण:-

जनपद	कोड	जनपद	कोड	जनपद	कोड	जनपद	कोड
आगरा	01	अलीगढ़	02	इलाहाबाद	03	अम्बेडकरनगर	04
अमेठी	05	आजमगढ़	06	बागपत	07	बहराइच	08
बलिया	09	बलरामपुर	10	बांदा	11	बाराबंकी	12
बरेली	13	बस्ती	14	बिजनौर	15	बदायूं	16
बुलंदशहर	17	चंदौली	18	चित्रकूट	19	देवरिया	20
एटा	21	इटावा	22	फैजाबाद	23	फतेहगढ़	24
फतेहपुर	25	फिरोजाबाद	26	गौतमबुद्धनगर	27	गाजियाबाद	28
गाजीपुर	29	गोण्डा	30	गोरखपुर	31	हमीरपुर	32
हरदोई	33	हाथरस	34	जालौन	35	जौनपुर	36
झांसी	37	अमरोहा	38	कन्नौज	39	कानपुरदेहात	40
कानपुर नगर	41	कासगंज	42	कौशाम्बी	43	कुशीनगर	44
लखीमपुरखीरी	45	ललितपुर	46	लखनऊ	47	महराजगंज	48
महोबा	49	मैनपुरी	50	मथुरा	51	मऊ	52
मेरठ	53	मिर्जापुर	54	मुरादाबाद	55	मुजफफरनगर	56
पीलीभीत	57	प्रतापगढ़	58	रायबरेली	59	रामपुर	60
सहारनपुर	61	संतकबीरनगर	62	संतरविदासनगर	63	शाहजहांपुर	64
श्रावस्ती	65	सिद्धार्थनगर	66	सीतापुर	67	सोनभद्र	68
सुलतानपुर	69	उन्नाव	70	वाराणसी	71	सम्भल	72
शामली	73	हापुड़	74	औरैया	75	-	

(घ) अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

1- आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथास्थिति निम्नलिखित प्रमाण-पत्र होने आवश्यक हैं:-

(1) **जन्मतिथि के प्रमाण** हेतु हाईस्कूल परीक्षा का अंकपत्र/प्रमाण-पत्र ।

(2) **शैक्षिक अर्हता के प्रमाण**-इण्टरमीडिएट अंकपत्र/प्रमाण-पत्र ।

(3) **अधिमानी अर्हता के प्रमाण**-प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की सेवा का प्रमाण-पत्र, या राष्ट्रीय कैडेट कोर "बी" प्रमाण पत्र या कम्प्यूटर अप्लीकेशन प्रमाण-पत्र ।

(4) **आरक्षण के दावे की पुष्टि के प्रमाण-**

क्षैतिज आरक्षण	**लम्बवत आरक्षण**	
	अनु0जा0/अनु0जा0/अन्य पि0 वर्ग	सामान्य (अनारक्षित)
	1-उ0प्र0 का मूल निवास प्रमाण पत्र 2-जाति प्रमाण पत्र	----
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	1-उ0प्र0 का मूल निवास प्रमाण पत्र 2-जाति प्रमाण पत्र 3-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र ।	1-उ0प्र0 का मूल निवास प्रमाण पत्र 2-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र ।
भूतपूर्व सैनिक	1-उ0प्र0 का मूल निवास प्रमाण पत्र	1-उ0प्र0 का मूल निवास

	2-जाति प्रमाण पत्र 3-भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाणपत्र/ सेवामुक्ति प्रमाणपत्र । 4- इण्डियन आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना या वायु सेना से प्राप्त ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट । 5-यूनिट के कमाण्डेण्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट'	प्रमाण पत्र 2- भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाणपत्र/ सेवामुक्ति प्रमाणपत्र । 3- इण्डियन आर्मी सर्टिफिकेट आफ एजुकेशन या नौ सेना या वायु सेना से प्राप्त ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट । 4-यूनिट के कमाण्डेण्ट द्वारा निर्गत 'नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट'
महिला	1-उ0प्र0 का मूल निवास प्रमाण पत्र 2-जाति प्रमाण पत्र	1-उ0प्र0 का मूल निवास प्रमाण पत्र
होमगार्डस	1-उ0प्र0 का मूल निवास प्रमाण पत्र 2-जाति प्रमाण पत्र 3- जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस द्वारा निर्गत सेवा प्रमाण पत्र	1-उ0प्र0 का मूल निवास प्रमाण पत्र 2- जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस द्वारा निर्गत सेवा प्रमाण पत्र

2- अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किये गये दावों (Claims) के सम्बन्ध में निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र/निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्रों को अभिलेखों की संवीक्षा के समय उसकी जांच के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर उसे चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगाः-

(1) आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेण्डरी/हाईस्कूल परीक्षा का अंकपत्र अथवा प्रमाण-पत्र ।

(2) निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अधिमानी अर्हताओं की पुष्टि हेतु अंकपत्र/प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं का प्रमाण ।

(3) लम्बवत् आरक्षित श्रेणी व क्षैतिज समूह के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि हेतु उ0प्र0 का मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत उ0प्र0 का मूल निवास प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा ।

(4) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में विज्ञापन तथा इस अनुदेश पुस्तिका में दिये गये निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें एवं वे उसे अभिलेखों की संवीक्षा के समय जांच के लिए प्रस्तुत करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को जो उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का कोई लाभ अनुमन्य नहीं है। अन्य पिछड़े वर्ग के क्रीमीलेयर अभ्यर्थी को भी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे ।

(च) अभ्यर्थियों के अभ्यास हेतु ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की एक प्रति अनुदेश पुस्तिका के अंत में दी गयी है।